



[kk | foKku , oa i kS| kfxdh dñz  
pkSjkjh pj.k fl g gfj ; k.kk df"k fo' ofo | ky; ] fgI kj  
njHkk"k% 01662&255204] eks 094162 52185] blesy&cfst@hau.ernet.in

## MKW j kds k xgykr प्रशिक्षण निदेशक

fo"k; % Qy , oa | Cth i l LdJ.k i j i f' k{k.kA  
Jheku@Jherh]

आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों के लिए फल एवं सब्जी प्रसंस्करण पर 26.02.2020 से 04.3.2020 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान 25 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु फल एवं सब्जी उत्पादों के विभिन्न पहलुओं के अलावा उनको बनाने की आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी।

इस प्रशिक्षण में 10+2 पास 18 से 25 वर्षीय (26.02.2020 तक) युवक—युवतियों का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा ^i gys vkvkj i gys i kvk\$ नीति के आधार पर किया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। जिन प्रशिक्षणार्थियों ने इस विभाग द्वारा आयोजित पहले किसी प्रशिक्षण में भाग लिया हो तो उनके आवेदन मान्य नहीं होंगे।

इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में केवल 10.02.2020 से 14.02.2020 तक ही रखीकार किए जाएंगे।

विषय विवरण व आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्न: उपर्युक्त

(राकेश गहलोत)

पृष्ठांकन संख्या: सी.एफ.एस.टी./2020/107

दिनांक : 04.02.2020

इस पत्र की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1. विशेष कार्य अधिकारी, कुलपति, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को कुलपति महोदय की सूचनार्थ।
2. नियन्त्रण अधिकारी, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, चौ. चरण सिंह ह. कृ. वि., हिसार।
3. विस्तार शिक्षा निदेशक, चौ. चरण सिंह ह. कृ. वि., हिसार।
4. सहनिदेशक (प्रशिक्षण), एस.एन.आई.ए.टी.टी.ई., चौ. चरण सिंह ह. कृ. वि., हिसार।
5. प्रभारी, किसान छात्रावास, चौ. चरण सिंह ह. कृ. वि., हिसार।
6. संगणक अनुभाग, मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, चौ. चरण सिंह ह. कृ. वि., हिसार।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, चौ. चरण सिंह ह. कृ. वि., हिसार।
8. अध्यक्ष, हरिजन कल्याण निगम, हिसार।

Qy , oal Cth i l Ld j . k  
i j  
i f' k{ k . k

1/26-02-2020 | s 04-3-2020 1/2



[kk] foKku , oa i ks] kfxdh dIlnz  
pkSkjh pj . k fl g gfj ; k. kk df"k fo' ofo | ky;  
fgI kj &125 004

^Qy , oal Cth i l Ld j . k\* ij i f' k{ k . k

i "Bhke

अधिकतर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित ग्रामीण परिवार या तो भूमिहीन हैं या सीमान्त किसान हैं और अपने परिवार के पालन पोषण में असमर्थ हैं। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इस दिशा में उन्हें सहायता कर सकता है। फल व सब्जियां अति शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, खराब होने पर उत्पादक को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते और यदि उत्पादक आधुनिक तरीकों का उपयोग करके फल एवं सब्जियों को मूल्य संवर्धित उत्पाद में परिवर्तित कर दे तो वह इन उत्पादों को काफी समय तक संरक्षित रखने के साथ—साथ अपने उत्पाद की लाभकारी कीमत भी प्राप्त कर सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों को बनाने की नवीनतम तकनीकों के बारे विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

mÍ\$ ;

1. प्रशिक्षणार्थियों को फल व सब्जी उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु सम्बन्धित नवीनतम जानकारी देना।
2. प्रशिक्षणार्थियों को फल व सब्जी उत्पादों से सम्बन्धित स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।
3. प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमी बनाने हेतु प्रेरित करना ताकि वे फल व सब्जी उत्पाद सम्बन्धी उद्योग स्थापित कर सकें।

i kB: Øe

विभिन्न प्रकार के फल व सब्जी उत्पाद जैसे जैम, जैली, मार्मलेड, चीज, बार, टॉफी, सॉस, कैचप, चटनी, अचार, मुरब्बा, कैंडी, तुरन्त सेव्य पेय, नैकटर, कार्डियल, स्क्वैश, बारले वाटर, शरबत, फल सब्जियों का डिब्बाबन्दी, बोतलबन्दी व निर्जलीकरण द्वारा परिरक्षण, फल—सब्जी परिरक्षण

संयंत्रों का परिचय, घरेलू स्तर पर उद्योग लगाना व उद्योग लगाने में ऋण सुविधाओं के बारे नवीनतम जानकारी।

### **i f' k{k. k fun\\$ kd**

डॉ. राकेश गहलोत, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

### **i f' k{k. k | a kstd**

डॉ. रेखा एवं डॉ. रितू, सहायक प्राध्यापक, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

### **jftLV\\$ku Qhl o ; k=k | EcU/kh i tCU/k**

यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षणार्थियों को अपने निवास स्थान से आने व वापिस जाने का किराया तथा विश्वविद्यालय में ठहरने व खाने पीने की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा प्रति प्रशिक्षणार्थी 100 रुपये प्रतिदिन मानदेय तथा किट भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण की सफलता पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

### **i f' k{k. kkFFk; ka ds fy, fun\\$ k**

इस प्रशिक्षण के लिए केवल अनुसूचित जाति के 18 से 25 वर्ष की आयु (26.02.2020 तक) के युवक व युवतियाँ ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम योग्यता बारहवीं पास होनी चाहिए। इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को दसवीं, बारहवीं, अपनी जाति, हरियाणा निवासी सम्बन्धित प्रमाण पत्रों तथा आधार कार्ड एवं बैंक खाते की पहला पृष्ठ की प्रतिलिपियों को सम्बन्धित गाँव के सरपंच या शहर के नगर पार्षद से सत्यापित करवा कर लाना होगा। आवेदक सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन पत्र केवल 10.02.2020 से 14.02.2020 तक की अवधि में निम्नलिखित कार्यालय में जमा करवाए। कुल 25 प्रशिक्षणार्थियों का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा आयु, योग्यता एवं 'i gys vkvkj i gys i kvk\\$ नीति के आधार पर किया जाएगा।

प्रशिक्षण निदेशक

खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार—125 004

टूर्भाष : 01662–255204 (कार्यालय)

मोबाइल : 094162 52185, 094672 38876, 098127 36768

[blesy&cfst@hau.ernet.in](mailto:blesy&cfst@hau.ernet.in)

i f' k{k.k e Hkkx yus gry vkonu i =  
अतिरिक्त आवेदन हेतु फोटोस्टेट कापी करवा सकते हैं

Qy , oal Cth i Ld j.k ij i f' k{k.k

Lkku % खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र,  
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय  
हिसार-125 004

फोटो

i f' k{k.k vof/k % 26.02.2020 से 04.3.2020

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. जन्म तिथि :
3. आयु (18 से 25 वर्ष, 26.02.2020 तक) :
4. जाति :
5. लिंग (स्त्रीलिंग / पुलिंग) :
6. पिता/पति का नाम एवं व्यवसाय :
  
7. शैक्षणिक योग्यता :
8. व्यवसाय :
9. डाक के लिए पूरा पता :
  
10. आवेदक का बैंक में खाता विवरण :
  
  
  
  
  
11. मोबाइल नंबर :
12. आप यह प्रशिक्षण क्यों लेना चाहते हैं? :
  
  
  
  
  
13. क्या इस विभाग द्वारा आयोजित पहले किसी प्रशिक्षण में भाग लिया है?

दिनांक :

हस्ताक्षर

doy dk; kly; gry

प्रार्थी को उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनुमति दी जाती है/  
नहीं दी जाती है।

प्रशिक्षण निदेशक